Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./6596/2001/जोधपुर

1. प्रेमकुमार पुत्र मांगी लाल नाई
2. भैरू लाल पुत्र मांगी लाल नाई
3. ओमप्रकाश पुत्र मांगी लाल नाई
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र मांगी लाल नाई
5. सत्यनारायण पुत्र मांगी लाल नाई
6. श्याम लाल पुत्र मांगी लाल नाई निवासीगण दातीवाडा तहसील जोधपुर जिला जोधपुर

अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार
2. श्याम लाल फौत जरिये कायम मुकाम–
2/1.श्री देवी सिंह पुत्र स्व. श्यामलाल
2/2. नारायण सिंह पुत्र स्व.श्याम लाल
2/3. अमर सिंह पुत्र स्व. श्यामलाल
2/4. अनोप कंवर पत्नी श्याम लाल फौत जरिये कायम मुकाम–
2/4/1.श्याम लाल पति अनोप कंवर
2/4/2.ललिता कंवर पुत्री अनोप कंवर
2/4/3.सरद पुत्र अनोप कंवर
2/4/4.देवेन्द्र पुत्र अनोप कंवर
निवासी समस्त हेमजी का कटला महामंदिर जोधपुर
2/5.शान्ति देवी बेबा किशोर भाटी पुत्री श्याम लाल निवासी चिडाणी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2/6. मीमा देवी पत्नी सत्यनारायण पुत्री श्याम लाल निवासी चिडाणी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2/7. धापू देवी पत्नी परसा भाटी पसुत्री श्याम लाल निवासी पांचबत्ती डिफेन्स लेबोरेट्री के पास जोधपुर

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वी.एस.राठौड अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5-9-2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2 वादी श्याम लाल ने उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर जोधपुर के न्यायालय में अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 636 रकबा 35 बीघा 3 विस्वा व खसरा नम्बर 638 रकबा 2 विस्वा स्थित ग्राम दातीवाडा के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने के बाद दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल पांच तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 24-1-01 के द्वारा वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5-9-01 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जोधपुर ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता का नाम अपीलार्थी के साथ जोडने का आदेश दिया था किन्तु जमाबन्दी में केवल नोट ही लगाया गया था। नोट लगाने के आधार पर किशोरी

लाल का स्वर्गवास होने पर नामान्तरकरण संख्या 242 सुवा कंवर बेबा किशोरी लाल के नाम स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जिन्होंने आदेश दिनांक 8-12-82 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुये प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रेषित किया। इस आदेश को राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 9-7-92 द्वारा यथावत रखा। इसके बाद नामान्तरकरण सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की एवं वादी ने तकासमा का वाद प्रस्तुत कर दिया। तकासमे के वाद के साथ वादी के लिये यह आवश्यक था कि जमाबन्दी में उसका नाम नहीं होने से इस्तकरार हक का वाद भी प्रस्तुत करते। इस्तकरार हक वाद प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में धारा 53 का वाद अपीलार्थी के विरूद्ध डिक्री नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थी वादी का वाद संधारण योग्य नहीं था। उनका तर्क है कि नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने मात्र से किसी को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण पर आधारित इन्द्राज एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश को चुनौती दी है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर प्रत्यर्थी वादी का वाद उसको खारिज मानते हुये डिक्री नहीं किया जा सकता था। उनका तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अभिवचनों के आधार पर कुल पांच तनकीयात कायम की हैं। तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में जमाबन्दी के इन्द्राज सम्बत 2042 से 2045 के आधार पर किया है जिस इन्द्राज को अपीलार्थी ने चुनौती दी है और इसके पूर्व की जमाबन्दी प्रत्यर्थी के नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में जमाबन्दी के आधार पर प्रत्यर्थी वादी को विवादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार है। एक सहखातेदार का कब्जा सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। श्याम लाल के विरूद्ध अपीलार्थी ने उसका नाम रेकार्ड से हटाने हेतु कभी कोई वाद

पेश नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सहखातेदार है। अपीलार्थी अपने काउण्टर क्लेम को सिद्ध नहीं कर पाये हैं न ही यह सिद्ध कर पाये है कि श्याम लाल का कब्जा बतौर खातेदार नहीं रहा है। सुवा कंवर ने नामान्तरकरण को चुनौती देकर इस भूमि में अपना अधिकार बताया था किन्तु अब वह यह कथन करती है कि इस भूमि में उसका या उसके पति का नाम गलत रूप से आ गया। यदि ऐसा था तो उसके हक में हुये नामान्तरकरण को अस्वीकार कर श्याम लाल के नाम दर्ज किये जाने पर उसे यह नहीं कहना चाहिये था कि यह भूमि उसके पति की थी और इस भूमि में उसका अधिकार था व है। श्याम लाल कब्जे से बाहर रहा हो यह भी सिद्ध नहीं है। प्रत्यर्थी वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड सहखातेदार है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष क विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्बत 2042 से 2045में भैरू लाल, ओमप्रकाश, लक्षमीनारायण, सत्यनारायण, श्याम लाल, प्रेमकुमार पिसरान मांगी लाल नाई 1/2, श्याम लाल पुत्र किशोरी लाल नाई सा. डांगीयावास 1/2 खातेदार का अंकन है। प्रदर्श–2 नकल नामान्तरकरण संख्या 503 है। प्रदर्श–1 में प्रत्यर्थी संख्या 2 श्याम लाल पुत्र किशोरी लाल सहखातेदार दर्ज है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उन व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिये जो अन रेकार्डेड सहखातेदार हैं। हमारी सुविचारित राय में राजस्व अभिलेख में जो सहखातेदार अभिलिखित हैं उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष अपना काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया था। यदि और भी कोई व्यक्ति हितबद्ध पक्षकार थे तो उन्हें काउण्टर क्लेम के साथ पक्षकार जोडने हेतु आवेदन करना चाहिये था अथवा क्रास सूट दायर करना चाहिये था। प्रत्यर्थी संख्या 2 श्याम लाल उसके पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण के आधार

पर वाद लेकर आया है। इसलिये उसके लिये इतना ही पर्याप्त था कि जो लोग जमाबन्दी में सहखातेदारान दर्ज हैं उन्हें पक्षकार बनावे।

8. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क रहा है कि जिस नामान्तरकरण के आधार पर वादी वाद लेकर आया है वह राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने खारिज हो चुका था और उन्होंने जबाब दावे में इस बाबत एतराज भी लिया था। इस परिप्रेक्ष्य में हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो हम पाते हैं कि राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष उप जिला कलेक्टर के आदेश दिनाक 8-12-82 में यह प्रश्न निहित था कि ग्राम पंचायत द्वारा सुवाकंवर के पक्ष में दिनांक 15-2-75 को जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उसके विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 28-5-77 को प्रस्तुत हुई। क्या यह प्रथम अपील अन्दर मियाद थी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में यह धारित किया है कि प्रथम अपील अन्दर मियाद नहीं थी और उन्होंने अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित नहीं किया था। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है जिसमें किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। इसलिये नामान्तरकरण के आधार पर वाद की कार्यवाही बाधित नहीं होती है। विचारण न्यायालय ने सभी तनकीयात पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसका प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से समर्थन किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हम बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य